

बिहार सरकार  
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 168/31/19/2017

पटना, दिनांक 24.03.18

सं० सं०-05/उ० नि० ब० (आवंटन)19/2017

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,  
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

वरीय लेखा पदाधिकारी,  
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।


विषय :- मुख्यशीर्ष-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0105-पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना-रेशम का विकास, विपत्र कोड-23-2851007890105 के विषय शीर्ष 0105.02.01-मजदूरी मद से केन्द्र प्रायोजित महिला स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2015-16 में प्राप्त केन्द्रांश के मैचिंग राज्यांश राशि रू० 93,000/- (तिरानवे हजार) मात्र के व्यय की वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृति के आलोक में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 1295 दि० 23.03.2018 के आलोक में उपर्युक्त विषयांकित बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में विषय शीर्ष 0105.02.01-मजदूरी मद से व्यय हेतु रू० 93,000/- (तिरानवे हजार) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

- 2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना आय-व्ययक शीर्ष 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0105-पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना-रेशम का विकास, विपत्र कोड-23-2851007890105, विषय शीर्ष 0105.02.01-मजदूरी से विकलित होगा।
- 3 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि०(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 एवं समय-समय पर निर्गत आदेश के आलोक में की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 4 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :-  
(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।  
(ख) एक इकाई की राशि दूसरी इकाई में व्यय नहीं की जाय।  
(ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।
- 5 राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।
- 6 व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं०/बिल नं० के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।
- 7 2017-18 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 28 मार्च 2018 तक अवश्य भेज दें।
- 8 आवंटित राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 1295, दिनांक 23.03.2018 में निहित निर्देश के अनुरूप किया जाए।

विश्वासभाजन


  
उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।

कृ० पृ० उ०

ज्ञापांक 168/31/92न

पटना, दिनांक 24.03.18


प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 168/31/92न

पटना, दिनांक 24.03.18

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना शाखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ICICI, लोम्बार्ड, पटना/प्रशाखा-05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी के अधिकृत ई-मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

  
उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।